जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2024 / 13 दिनांकः– 11.01.2024

–:: कार्यालय आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II / 2022 / 2248 दिनांक 05.08.2022, माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक PS / 43 दिनांक 09.01.2024 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2022 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम), व इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 मे कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड–II के पद पर अस्थायी तौर पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600 / – रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

S. N.	Id No	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate	Gender	DOB	Original Category	Selected Category	Allted Category
1	343	2688	167701	MAHESH MEENA	MALE	08-06-1998	ST	ST	GEN-MERIT

उक्त अभ्यर्थी नॉन टीएसपी क्षेत्र का होकर उनके संबंध में दिये गये निर्देशानुसार यदि पश्चात्वर्ती लगातार तीन भर्ती वर्षो में टीएसपी क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी चयनित होता है तो उक्त अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा।

1. उक्त नियुक्ति कनिष्ठ न्यायिक सहायक / कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड–द्वितीय की संयुक्त परीक्षा, 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओ एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. सभी नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन special leave to Appeal(c) NO(s).27348/2023 Rajasthan High court & Anr. Vs.Rajat yadav & Ors. के अध्यधीन रहेंगी।
3. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नही होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
4. प्रथम छःमाह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
5. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगीं।
6. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पायें जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पूनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार / माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नही हैं एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

10. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एंव आचरण नियम लागू होंगे।

11. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, में अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य सभी आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज असल एवं एक–एक छाया प्रति स्वयं प्रमाणित प्रस्तुत करेंगे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा दस्तावेज का असल से सत्यापन करने के उपरान्त मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को लौटा देंगे। दस्तावेज में विसंगति होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

–Sd–
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
डूंगरपुर

दिनांकः– 11.01.2024

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2024 / 194

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

01. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
02. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
03. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
04. लेखा शाखा कार्यालय हाजा, डूंगरपुर
05. श्री महेश मीणा पिता बापुलाल मीणा, मुकाम पोस्ट, जावली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज.) पिनकोड 321607
06. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, डूंगरपुर को सम्बन्धित कार्मिक की ई–मेल आईडी पर प्रेषित करने व न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
07. रक्षित पत्रावली।

11.01.2024
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
डूंगरपुर